न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 21/2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00213

उनवान

1. राधे पुत्र सालगराम
   1/1. मौहरेकौर पत्नी राधे
2. भूप सिंह पुत्र राधे

} जाति अहीर नि0 धिलावटी तह0 कॉमा जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. तारावती पुत्री राधे पत्नी दाताराम जाति अहीर निवासी ग्राम धिलावटी तहसील कॉमा हाल निवासी कृष्ण कुंज कोसी रोड कॉमा, भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. गोपी पुत्र राधे
3. वीरवती पुत्री राधे

} जाति अहीर नि0 ग्राम धिलावटी तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कॉमा जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी कॉमा दि0 08.12.2016 प्र.सं. 08/2011 उनवानी तारावती बनाम राधे।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेश कुमार सोगरवाल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 21.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

धिलावटी तहसील कॉमा पर वादी/असल रैस्पो0 के बाबा सालगराम अपने जीवनकाल में काश्त करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर वादनी के पिता प्रतिवादी/अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, जो खिलाफ कानून है। वादनी/असल रैस्पो0 आज तक विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर काश्त करती चली आ रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दिनांक 07.02.2023 को उभयपक्ष ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। तत्पश्चात् राजीनामा पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने राजीनामा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि प्रकरण में हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। तारावती ने मृतक राधे के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से डिक्री किया गया। वर्तमान में हम उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा रैस्पो0 संख्या 01 तारावती अपना उक्त आराजी मुतनाजा में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है। अतः अपीलाण्ट की उक्त अपील को स्वीकार करने में रैस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपील को स्वीकार करने में कोई आपत्ति जाहिर ना करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। राजीनामा में अंकित है कि पक्षकारान के मध्य बाहमी तौर पर आपस में गॉव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने राजीनामा करा दिया है तथा पक्षकारान आपस में मुकदमा नहीं लडना चाहते हैं अतः मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। हस्तगत अपील में पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण में कोई विवाद अथवा आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः हम अपील अपीलाण्ट मुताबिक राजीनामा इसी स्तर पर आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 निरस्त किये जाते हैं एवं राजीनामा की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजीनामा, मुद्रांक व पंजीयन शुल्क को ध्यान में रखते हुये, राजीनामा पर पुनः उभयपक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को उपस्थित होवें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर